भ्रष्टाचार के आरोप में न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के सीएमडी निलम्बीत

मामले में सीबीआई ने सीएमडी के निवास साहित ओरिएण्टल बीमा कंपनी के मुम्बई कार्यालयों में छापा मारकर दस्तावेज जप्त किये

मुम्बई: भ्रष्टाचार के आरोप में वित्त मंत्रालय ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक एम. रामदोस को निलंबित कर दिया. रामदोस पहले ओरिएण्टल बीमा कंपनी में चेयरमेन थे तथा कुछ वर्ष पूर्व ही वे न्यू इडिया एश्योरेंस कम्पनी के चेयरमेन बने थे. एम रामदोस पर यह आरोपी है कि उन्होंने पेरामाउट ऐयरवेज प्रायवेट लिमिटेड-चेन्नेई को कंपनी के सारे नियम व कायदो को ताक में रखकर लगभग २०० करोड रुपयों की क्रेडिट ग्रारंटी बीमा पॉलिसी जारी की.

नियमानुसार ये पॉलिसी जारी करने के लिये कंपनी के बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात ही इस प्रकार की पॉलिसी जारी की जा सकती थी.

पेरामाउट ऐयरवेज प्रा.लि चेन्नेई को जारी क्रेडिट ग्रारंटी बीमा पॉलिसी को जारी करने में मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय नम्बर-१ व २ के कई भ्रष्ट अधिकारीयों ने सीएमडी रामदोस के निर्देश पर इस २०० करोड की पॉलिसी को मुम्बई के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक-१ व २ में पॉलिसी की रिस्क को कव्हर किया जबकी नियमानुसार एक ही प्रपोजल पर दो कार्यालयों द्वारा बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जा सकती है

इस प्रायोजित आर्थिक घोटाले में २०० करोड की एक पॉलिसी जारी नहीं कर उसे २० हिस्सों में विभाजीत कर पॉलिसी जारी की तथा इस पॉलिसी का रीइश्योरेंस भी अन्य कोई बीमा कंपनी ने नहीं किया क्योकिं जारी पॉलिसी को नियमानुसार जारी नहीं किया गया था.

इस प्रायोजित आर्थिक घोटाले का पर्दाफ ाश जब हुआ जब पेरामाउट एयरवेज प्रा लि.ने विभिन्न बैंको से लिये गये लोन के संबध में बैंक ने बीमा कंपनी को ४५० करोड रुपयों के दावों की मांग की.

मामला सार्वजनिक होने पर नई-दिल्ली की सीबीआई टीम ने एम.रामदोस, पेरामाउट एयरवेज प्रा. लि. बीमा कंपनी के मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय पर छापा मारकर क्षेत्रीय कार्यालय पर छापा मारकर भारी मात्रा में दस्तावेजों को जप्त किया. विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सर्तता आयोग ने एम. रामदोस को कंपनी से बर्खास्त करने के लिये वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है.

इस आर्थिक घोटाले में ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के महाप्रबन्धक नीरज कुमार, सहा महा प्रबन्धक सी. एस. टण्डन, रीना भटनागर, पी. राव, शाईनी कुरियन, डी. डी. असावा सहित कई अन्य अधिकारीयों के खिलाफ सीबीआई को कई प्रमाण मिले जिनकी भी जाँ च की जा रही है.

३० हजार रुपयों की रिश्वत लेते पकड़या

मामला ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी का

जयपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ने राजस्थान के पाली में ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के मण्डल प्रबन्धक को तीस हजार रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा. मण्डल प्रबन्धक प्रभुराम गहनोलिया ने विनायक इण्डस्ट्रीज फैक्टी के मालिक मदन गोपाल माहेश्वरी से एक दावे के पास होने पर उसे चेंक देने के एवज में तीस हजार रुपये रिश्वत की मांग की.

इस मामले में विनायक इन्डस्ट्रीज के मालिक मदन गोपाल ने उनकी फैक्ट्री का बीमा करवया था. फैक्ट्री में दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी ने सर्वेयर नियुक्त कर हुई नुकसानी का आकलन करवाया तथा ११ लाख रुपयों की क्षति का आकलन कर दावे को पास कर दिया. वरिष्ठ कार्यालय ने दावे की राशी का चेक पाली के मण्डल कार्यालय को भेजा जहाँ पर चेक देने के पूर्व ३० हजार रुपयों की धनराशी की मांग की.

फैक्ट्री मालिक मदन गोपाल माहेश्वरी ने इस बात की शिकायत राजस्थान स्टेट के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों से करने पर मण्डल प्रबन्धक को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा और जोधपुर स्थित एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया जिस पर न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें जेल भेज दिया.

विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसीबी टीन में मण्डल प्रबन्धक के पैतृक बडा गांव झुंझुनूं के अलावा सीकर में बंगले की जाँच पड़ताल करने पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जप्त किया तथा उनके निवास से नोयडा स्थित एक फ्लेट एवं सीकर में एक बंगला और जयपुर में कई प्लाट के कागजाद मिले है.

राजीव के हत्यारों की फांसी पर ८ हफ्ते की रोक

चेन्नई : राजीव गांधी हत्या मामले में फांसी की सजा प्राप्त तीन लोगों को कानूनी राहत देते हुए मद्रास उच्च न्यायालरा ने उन्हें फांसी देने पर आठ हफ्ते के लिरो रोक लगा दी जबकि तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से उनकी दया याचिका पर फिर से विचार करने की अपील की। इन लोगों को नौ सितम्बर को फांसी पर लटकाया जाना था। उच्च न्यायालरा का आदेश आने से ठीक पहले तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति से दया याचिका पर फिर से विचार करने को कहा जिसे उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ठुकरा दिया था। विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जयललिता ने पेश किया। याचिका को मंजूरी देते हुए न्यायमूर्ति सी. नागप्पन और एम. सत्यनारायणन की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति से दया की गुहार वाली तीनों सजायाफ्ताओं की याचिका पर ११ वर्ष से ज्यादा का विलंब हुआ। वेल्लोर जेल में बंद मुरुगन, संतन और पारारीवलन को राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी करार दिया गया था और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। २१ मई १९९१ को श्रीपेरंबुदुर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के आत्मघाती बम हमलावर ने बम विस्फोट कर उनकी हत्या कर दी थी। तीनों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुलिस को नोटस जारी किया। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिये जिरह की।

तीनों सजायाफ्ता लोगों की तरफ से जेठमलानी, कोलिन गोंजाल्विस और आर. वैगे ने कहा कि उनकी दया याचिकाओं के निपटारे में काफी और बेतुका विलंब संविधान की धारा २१ (जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा) का उल्लंघन है। अदालत के बाहर इकट्ठा भारी भीड़ ने अंतरिम आदेश का स्वागत किया जिसका कई राजनीतिक पाटियां एवं मानवाधिकार समूह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिन्होंने तीनों की जिंदगी बचाने के लिरो अभियान छेड़ा हुआ है। तीनों को रिहा करने की कड़ी वकालत करने वाले एमडीएमके नेता वाइको भी अदालत में मौजूद थे। जेठमलानी ने कहा, ''उच्च न्यायालय न्याय कर रहा है। निश्चिंत रहें। उन्होंने फांसी पर रोक लगा दी है।'' उन्होंने मुद्दा उठाने के लिरो वाइको को धन्यवाद भी दिया। उनकी दया याचिका पर निर्णय करने में ११ वर्षों की देरी सजायाफ्ता लोगों के लिये ''मानसिक उत्पीड़न'' है। जेठमलानी ने कहा, ''आपने उन्हें हजार बार पीड़ित किया। क्या यही न्याय है।''

विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने झुकते हुए मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने प्रस्ताव पेश कर राष्ट्रपति से आग्रह किरा कि तीनों सजायाफ्ता लोगों की मौत की सजा को कम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस बात से ''दु:खी'' है कि उन्हें तुरंत फांसी दी जानी है। एक दिन पहले ही जयललिता ने विधानसभा में कहा कि उनके पास मौत की सजा को निरस्त करने की शक्ति नहीं है या राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका को खारिज करने के बाद सजा पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, ''कई राजनीतिक पाटियों ने मुझसे मौत की सजा कम करने को कहा और राज्य के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं सदन के सदस्यों से अपील करती हूं कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास करें।''

शहला हत्याकांड में सुराग देने पर मिलेंगे १ लाख रुपए

भोपाल : आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड में सुराग देने वाले को पुलिस एक लाख रुपयों का ईनाम देगी। इस बारे में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विजय यादव ने इस बारे में बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, जिसे शीघ्र ही मंजूरी मिल जाएगी। इस प्रस्ताव के अनुसार शहला की हत्या के बारे में सुराग देने वाले को एक लाख रुपयों का नाम देने के साथ ही उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हत्या के इस मामले में पुलिस अलग-अलग बिन्दुओं पर जांच कर रही है।

दूसरी ओर, पुलिस को जिला रजिस्ट्रार कार्यालय ने शहला की संपत्ति की जानकारी दी, जिसमें बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में उनके पिता के नाम मकान के अलावा उनकी को अन्य संपत्ति होने के प्रमाण नहीं है। वहीं, ग्रामीण इलाके में संपत्ति के बारे में रजिस्ट्रार कार्यालय जानकारी एकत्र कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि शहला के बैंक खाते से हुए लेनदेन में भी पुलिस, हत्या का सुराग खोजने का प्रयाास कर रही है। उसके एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की भी पड़ताल हो रही है, लेकिन पुलिस को इसमें अब तक को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ नहीं लगी है।

उल्लेखनीय है कि कोहेफिजा इलाके में गत १६ अगस्त को अन्ना हजारे की समर्थक एवं आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद घर के सामने खड़ी उनकी कार से पुलिस ने लाश बरामद की थी। उनके परिवारजनों ने इस बारे में कई लोगों पर संदेह व्यक्त किया था। राज्य सरकार ने परिवारजनों की मांग पर मामले की सीबीआई जांच के लिए केन्द्र से आग्रह किया है।

आर्थिक घोटालों एवं भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी दे

सेन्सर टाइम्स को सम्पूर्ण भारत वर्ष से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायते मय दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्राप्त हो रही है हम अपने स्तर पर इन शिकायतों की जाँ च करते है और वे शिकायतें सही पाई जाती है तो हम जनहित में आर्थिक घोटालों को समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर उसे सार्वजनिक कर भ्रष्टाचारीयों का पर्दाफाश करते है. पाठकों से निवेदन है कि आपकी जानकारी में ऐसा कोई आर्थिक घोटाला या भ्रष्टाचार से संबंधीत कोई सूचना है तो हमें उसके दस्तावेजी प्रमाण के साथ हमें भेजे और हमारे भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प को मजबूती दे । हम आपको विश्वास दिलाते है कि हम आपका नाम गुप्त रखेगे । आओं हम सब मिल कर हमारे देश को भ्रष्टाचार व भय मुक्त करने में अपना सहयोग दे क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोशिश के पेड़ों पर ही कामयाबी के पल मिलते है और यदि हम यही पल हमारे देश की उन्नती के लिये व हमारे समाज के उत्थान के लिये करेगे तो यकीन मानिये एक नि हमारा देश पुन: सोने की चिड़िया कहलायेग.

-प्रधान संपादक

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - रविकुमार पोत्दार इन्दौर ७२/७४ , सूयश विहार,भमोरी दुबे,फारचुन लैण्डमार्क के पीछे, इन्दौर से प्रकाशित एवं आर्टटेक ग्राफिक्स, 864/7, नेहरू नगर, इन्दौर म.प्र. से मुद्रीत
सम्पादक रविकुमार पोत्दार .आर.एन.आई. नं. १२७८२/२००३ e-mail- censortimes@ hotmail.com किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सिर्फ इन्दौर ही रहेगा। मोबाईल-०९९२६६-३१७०७